रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD.NO.D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1349] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2006/कार्तिक 19, 1928
No. 1349] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2006/KARTIKA 19, 1928

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2006

का.आ. 1940(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1.(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गन्ना (नियत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में, खंड 6 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

" 6क. **पन्द्रह किलोमीटर की परिधि के भीतर दो चीनी कारखाने स्थापित करने पर निर्बन्धन** - खंड 6 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य या दो या अधिक राज्यों में किसी विद्यमान चीनी कारखाने या अन्य नए कारखाने के पन्द्रह किलोमीटर की परिधि के भीतर कोई नया चीनी कारखाना स्थापित नहीं किया जाएगा :

परन्तु राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, जहां वह लोक हित में आवश्यक और समीचीन समझती है, अपने अपने राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए पन्द्रह किलोमीटर से अधिक ऐसी दूरी या पन्द्रह किलोमीटर से अन्यून विभिन्न न्यूनतम दूरियां अधिसूचित कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण 1 - किसी विद्यमान चीनी कारखाने से प्रचालन में कोई चीनी कारखाना अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत ऐसा चीनी कारखाना भी है जिसने कोई चीनी कारखाना स्थापित करने के लिए स्पष्टीकरण 4 में विनिर्दिष्ट सभी प्रभावी उपाय किए हैं किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा चीनी कारखाना अपवर्जित है जिसने अपने गत पांच गन्ना मौसमों के लिए अपना पेराई कार्य नहीं किया है ।

स्पष्टीकरण 2 - किसी नए चीनी कारखाने से कोई ऐसा चीनी कारखाना अभिप्रेत है जो कोई विद्यमान चीनी कारखाना नहीं है किन्तु केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा यथा विहित औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन फाइल कर दिया है और खंड 6(ग) में यथा विनिर्दिष्ट नियत समय या विस्तारित समय के भीतर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मुख्य निदेशक (चीनी) को एक करोड़ रुपए की निष्पादन प्रत्याभूति प्रस्तुत कर दी है ।

स्पष्टीकरण 3 - न्यूनतम दूरी का अवधारण भारतीय सर्वेक्षण द्वारा माप के अनुसार किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 4 - प्रभावी उपायों से चीनी कारखाना स्थापित करने के लिए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए संबद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए निम्नलिखित उपाय अभिप्रेत हैं:-

(क) कारखाने के नाम में अपेक्षित भूमि का क्रय ;

(ख) कारखाने के लिए संयत्र और मशीनरी के लिए फर्म आदेश देना और अपेक्षित अग्रिम का संदाय या प्रदायकर्ताओं के साथ अविखंडनीय साख पत्र खोलना ;

(ग) कारखाने के लिए सिविल संकर्म का प्रारंभ करना और भवन संनिर्माण ;

(घ) बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित अवधि उधारों की मंजूरी ;

(ङ) इस संबंध में किसी अधिसूचना के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित कोई अन्य उपाय ।

(6ख) औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन भरने के लिए अपेक्षाएं -

(1) केन्द्रीय सरकार के साथ औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन फाइल करने से पूर्व संबद्ध व्यक्ति गन्ना आयुक्त या निदेशक (चीनी) या संबद्ध राज्य सरकार के विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से एक यह प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा कि उस स्थल से जहां वह चीनी कारखाना स्थापित करना चाहता है और उसके समीप विद्यमान चीनी कारखानों तथा नए चीनी कारखानों के बीच की दूरी उस न्यूनतम दूरी से कम नहीं है जो यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित की गई है और ऐसे प्रमाणपत्र के जारी होने के एक मास के भीतर संबद्ध व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन फाइल करेगा जिसके न हो सकने पर प्रमाणपत्र की विधिमान्यता समाप्त हो जाएगी ।

(2) संबद्ध व्यक्ति औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन फाइल करने के पश्चात् उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के मुख्य निदेशक (चीनी) को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन फाइल करने के तीस दिन के भीतर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए प्रतिभूति के रूप में एक करोड़ रुपए की निष्पादन प्रत्याभूति खंड 6(ग) में यथाविहित नियत समय या विस्तारित समय के भीतर प्रस्तुत करेगा जिसके न हो सकने पर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन जहां तक इस आदेश के उपबन्धों का संबंध है, अमान्यताप्राप्त होगा ।

6ग. औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए समय-सीमा -

केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को फाइल करने की तारीख से प्रभावी उपाय करने के लिए नियत समय दो वर्ष होगा और वाणिज्यिक उत्पादन चार वर्ष के भीतर प्रारंभ होगा जिसके न हो सकने पर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन जहां तक इस आदेश के उपबन्धों का संबंध है, अमान्यताप्राप्त होगा और निष्पादन प्रत्याभूति समपहृत हो जाएगी ।

परंतु मुख्य निदेशक (चीनी), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर, औद्योगिक उद्यमकर्ता

ज्ञापन के कार्यान्वयन और उसपर वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ के लिए एक वर्ष का, किन्तु एक बार में छह मास से अधिक नहीं, विस्तारण दे सकेगा ।

6घ. खंड 6ख और खंड 6ग में अधिकथित उपबंधों को कार्यान्वित न करने के परिणाम - यदि किसी औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन को खंड 6ग में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो इसके कार्यान्वयन के लिए दी गई अनुपालन-गारंटी संबद्ध व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् समपहृत कर ली जाएगी ।

6ङ. ऐसे व्यक्ति को जिसके औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन को पहले ही अभिस्वीकृत कर लिया गया है, खंड 6ख, खंड 6ग और खंड 6घ का लागू होना -

(1) इस आदेश के खंड 6ख के उपखंड (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के सिवाय, खंड 6ख, खंड 6ग और खंड 6घ में विनिर्दिष्ट अन्य उपबंध भी ऐसे व्यक्ति को लागू होंगे जिसके औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन को पहले ही अभिस्वीकृत कर लिया गया है जैसा कि वह इस अधिसूचना की तारीख को था, किन्तु जिसने खंड 6क के स्पष्टीकरण 4 में यथाविनिर्दिष्ट प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं ।

(2) ऐसा व्यक्ति जिसके औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है जैसा कि वह इस अधिसूचना की तारीख को था, किन्तु जिसने खंड 6क के स्पष्टीकरण 4 में यथाविनिर्दिष्ट प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं, इस अधिसूचना के जारी किए जाने के छह मास की अवधि के भीतर मुख्य निदेशक (चीनी), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को एक करोड़ रुपए की अनुपालन-गारंटी देगा जिसके न दे सकने पर संबद्ध व्यक्ति के औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन की, जहां तक इस आदेश के उपबंधों का संबंध है, मान्यता समाप्त हो जाएगी ।" ।

[फा. सं. 27(4)/2006-एसटी]

डा. जॉय आई. चौनाथ, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में आदेश सं.सा.का.नि. 1126 (अ). आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 16 जुलाई, 1966 के अधीन प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था :-

1. सा0का0नि0 35/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 5.6.1967
2. सा0का0नि0 159/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 17.10.1967
3. सा0का0नि0 945/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 18.10.1968
4. सा0का0नि0 1456/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 02. 08.1968
5. सा0का0नि0 402(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 25.09.1974

6. सा०का०नि० 492(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 12.09.1975
7. सा०का०नि० 542 (अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 27.10 1975
8. सा०का०नि० 484 (अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 26.7.1974
9. सा०का०नि० 799(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 13.9.1976
10. सा०का०नि० 913 (अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 9.12.1976
11. सा०का०नि० 197 (अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29.3.1978
12. सा०का०नि० 79 (अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24.2.1982
13. सा०का०नि० 695 (अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 9.09.1983
14. सा०का०नि० 903 (अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29.11.2000
15. सा०का०नि० 113(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 20.2.2003
16. सा०का०नि० 204(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 22.3.2004

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 10th November, 2006

S.O. 1940(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely :—

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) (Amendment) Order, 2006.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Sugarcane (Control) Order, 1966, after clause 6, the following clauses shall be inserted, namely:-

"**6A. Restriction on setting up of two sugar factories within the radius of 15 Kms.** - Notwithstanding anything contained in clause 6, no new sugar factory shall be set up within the radius of 15 Kms of any existing sugar factory or another new sugar factory in a state or two or more states:

Provided that the State Government may with the prior approval of the Central Government, where it considers necessary and expedient in public interest, notify such minimum distance higher than 15 Kms or different minimum distances not less than 15 Kms for different regions in their respective States.

3566 GI/06-2

Explanation 1.- An existing sugar factory shall mean a sugar factory in operation and shall also include a sugar factory that has taken all effective steps as specified in Explanation 4 to set up a sugar factory but excludes a sugar factory that has not carried out its crushing operations for last five sugar seasons.

Explanation 2.- A new sugar factory shall mean a sugar factory, which is not an existing sugar factory, but has filed the Industrial Entrepreneur Memorandum as prescribed by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry in the Central Government and has submitted a performance guarantee of rupees one crore to the Chief Director (Sugar), Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for implementation of the Industrial Entrepreneur Memorandum within the stipulated time or extended time as specified in clause 6C.

Explanation 3.- The minimum distance shall be determined as measured by the Survey of India.

Explanation 4.- The effective steps shall mean the following steps taken by the concerned person to implement the Industrial Entrepreneur Memorandum for setting up of sugar factory:-

(a) purchase of required land in the name of the factory;

(b) placement of firm order for purchase of plant and machinery for the factory and payment of requisite advance or opening of irrevocable letter of credit with suppliers;

(c) commencement of civil work and construction of building for the factory;

(d) sanction of requisite term loans from banks or financial institutions;

(e) any other step prescribed by the Central Government, in this regard through a notification.

6B. Requirements for filing the Industrial Entrepreneur Memorandum.-

(1) Before filing the Industrial Entrepreneur Memorandum with the Central Government, the concerned person shall obtain a certificate from the Cane commissioner or Director (Sugar) or Specified Authority of the concerned State Government that the distance between the site where he proposes to set up sugar factory and adjacent existing sugar factories and new sugar factories is not less than the minimum distance prescribed by the Central Government or the State Government, as the case may be, and the concerned person shall file the Industrial Entrepreneur Memorandum with the Central Government within one month of issue of such certificate failing which validity of the certificate shall expire.

(2) After filing the Industrial Entrepreneur Memorandum, the concerned person shall submit a performance guarantee of rupees one crore to Chief Director (Sugar), Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution within thirty days of filing the Industrial Entrepreneur Memorandum as a surety for implementation of the Industrial Entrepreneur Memorandum within the stipulated time or extended time as specified in clause 6C failing which Industrial Entrepreneur Memorandum shall stand de-recognized as far as provisions of this Order are concerned.

6C. Time limit to implement Industrial Entrepreneur Memorandum.-

The stipulated time for taking effective steps shall be two years and commercial production shall commence within four years with effect from the date of filing the Industrial Entrepreneur Memorandum with the Central Government, failing which the Industrial Entrepreneur Memorandum shall stand de-recognized as far as provisions of this Order are concerned and the performance guarantee shall be forfeited:

Provided that the Chief Director (Sugar), Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution on the recommendation of the concerned State Government, may give extension of one year not exceeding six months at a time, for implementing the Industrial Entrepreneur Memorandum and commencement of commercial production thereof.

6D. Consequences of non-implementation of the provisions laid down in clauses 6B and 6C.- If an Industrial Entrepreneur Memorandum remains unimplemented within the time specified in clause 6C, the performance guarantee furnished for its implementation shall be forfeited after giving the concerned person a reasonable opportunity of being heard.

6E. Application of clauses 6B, 6C and 6D to the person whose Industrial Entrepreneur Memorandum has already been acknowledged. -

(1) Except the period specified in sub-clause (2) of clause 6B of this Order, the other provisions specified in clauses 6B, 6C and 6D shall also be applicable to the person whose Industrial Entrepreneur Memorandum has already been acknowledged as on date of this notification but who has not taken effective steps as specified in Explanation 4 to the clause 6A.

(2) The person whose Industrial Entrepreneur Memorandum has already been acknowledged as on date of this notification but who has not taken effective steps as specified in Explanation 4 to the clause 6A shall furnish a performance guarantee of rupees one crore to the Chief Director(Sugar),

Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution within a period of six months of issue of this notification failing which the Industrial Entrepreneur Memorandum of the concerned person shall stand de-recognized as far as provisions of this Order are concerned.".

[F. No. 27(4)/2006-ST]

Dr. JOY I. CHEENATH, Jt. Secy.

Footnote:- The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary under Order number G.S.R. 1126,(E), Ess. Com/Sugarcane dated the 16th July, 1966 and was subsequently amended vide:-

1. G.S.R. 35/Ess. Com./Sugarcane dated 5.6.1967.
2. G.S.R. 159/Ess.Com/Sugarcane dated 17.10.1967
3. G.S.R. 945/Ess.Com/Sugarcane dated 18.05.1968
4. G.S.R. 1456/Ess. Com./Sugarcane dated 02.08.1968
5. G.S.R. 402(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 25.09.1974
6. G.S.R. 492(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 12.09.1975
7. G.S.R. 542(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 27.10.1975
8. G.S.R. 484(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 26.07.1974
9. G.S.R.799(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 13.09.1976
10. G.S.R. 913(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 09.12.1976
11. G.S.R. 197(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 29.03.1978
12. G.S.R. 79(E)/Ess. Com/Sugarcane dated 24.02.1982
13. G.S.R. 695(E)/ Ess. Com/ Sugarcane dated 09.09.1983
14. G.S.R. 903(E)/Ess.Com/Sugarcane dated 29.11.2000
15. G.S.R. 113(E) Ess.Com/Sugarcane dated 20.02.2003
16. G.S.R. 204(E)/Ess. Com/Sugarcane dated 22.03.2004

3568 GI/06-3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.